रहा है। जब तक उस का रोका नहीं जायेगा तब तक विकास नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए।

18.02 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

POSTAL ACCOUNTS IN HARYANA

श्रीमती मृणाल गोरे (बम्बई उत्तर) सभापति महोदया, 12-3-79 का प्रश्न संख्या 284 का जो उत्तर दिया गया है उस के बारे में मैं यह चर्चा चलाना चाहती हूं। उस दिन सवाल के जवाब में जो बताया गया उस में यह कहा गया कि 50 हजार रुपये से ऊपर के जो डिपाजिट्स 1974 में हरयाने के पोस्ट आफिसेज में किए गए उस के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। मैं उस दिन बराबर पूछती रही कि कुल मिला कर 74, 75 और 76 तीन सालों में इस प्रकार के कितने लोगों ने डिपाजिट्स किए थे और कितनों के बारे में जांच अभी तक हो गई है। मुझे जो मालूमात मिली है उस के मुताबिक 1974-75 और 76 में लगभग 712, पचास हजार रुपये के ऊपर के डिपाजिटस हरयाना के पोस्ट आफिसेज में हुए। इस के बारे में देखने लायक चीज तो यह है कि उस में कई डिपाजिट्स ऐसे हैं कि वहां 30 मार्च को डिपाजिट किया, 2 अप्रैल को पैसा उसी एकाउंट में से वापस ले लिया, 29 मार्च का डिपाजिट किया और 2 अप्रैल का वापस ले लिया या फिर 31 मार्च का डिपाजिट किया और 3 अप्रैल को ले लिया। ऐसे ही तीन चार दिन के लिए इतनी बड़ी रकम डिपाजिट कर के जो वापस ले ली गई उसमें कई व्यक्तिगत डिपाजिट्स भी हैं, कई म्यूनिसिपैलिटीज के हैं, कई पुलिस इंसपेक्टर्स के हैं तहसीलदार के है, डी एम्स के है, कोआपरेटिव मिल्स के हैं, जिला परिषदों के डिपाजिट्स है, कई तरह के डिपाजिट्स इस प्रकार के हैं और इस के बारे में दिसम्बर, 1977 से इस सरकार के पास लगातार कई शिकायतें आई है, इसके बावजूद भी अभी तक इन की जांच पूरी नहीं हुई है यह हमारी शिकायत है।

उस दिन के सवालों के जवाब में कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि इस में केवल 13 केसेज हैं जिन में पोस्टल डिपार्टमेंट के रूल्स का उल्लंघन किया गया है। मैं यह कहना चाहूंगी, उस दिन भी मैं बार-बार कह रही थी कि जो 10 फरवरी, 1978 के करेंट में आया है, उस में जो लिस्ट आई है और जो पचास नाम आए हैं उस में से 13 केसेज ऐसे हैं कि जहां पोस्टल डिपार्टमेंट के रूल्स वायलेट हुए हैं लेकिन उस के साथ साथ बाकी कई डिपाजिट्स के केसेज हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि कुल मिला कर कितने ऐसे केसेज है। केवल करेंट में जो पचास केसेज दिए गए है उन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, 74, 75 और 76 सालों में कुल मिला कर कितने एकाउंट ऐसे खोले गए, कितनों के बारे में पोस्टल डिपार्टमेंट के रूल्स का उल्लंघन हुआ और उस के बारे में अभी तक क्या हुआ?

मंत्री महोदय उस दिन बार बार कहते रहे हैं कि जांच चल रही है, ऐक्शन ले रहे है, कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार की बातें वह करते रहे। मेरा यह कहना है कि जब 77 साल से यह बात चल रही है और अब काफी बातें सामने आ गई हैं, इनकम टैक्स विभाग भी इस के बारे में तलाशी कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इस में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि 2 मार्च 1979 को कवर लाल गुप्त जी के अनस्टार्ड क्वेश्चन नम्बर 1762 का जो जवाब दिया गया है उस में 1974 साल के 5 लाख के ऊपर के जो डिपाजिट्स हैं, उन के 85 कैसेज के नाम दिए गए हैं। मुझे खेद है कि इस लिस्ट में भी नाम दिया है, कितना डिपाजिट रखा उस की तारीख दी है लेकिन उस का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कि यह डिपाजिट फिर से वापस कब लिए गए, कब विदड्रा किए गए, क्या एमाउण्ट था इस की तारीख नहीं है। इस से ज्यादा शक होता है। दो तीन दिन के लिए पांच लाख आठ लाख दस लाख ऐसा एमाउण्ट रखा गया। किस के नाम से रखा गया, क्या बेनामी एकाउण्ट थे, इस के बारे में तीन केसेज के बारे में तो उस दिन भी मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा था कि ये बेनामी एकाउण्टस हैं, ऐसा लग रहा है—आर पी सी का पांच लाख का डिपाजिट, श्री एन के गग, ज्वाइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, हरयाना गवर्नमेंट का पांच लाख का डिपाजिट और श्री कश्मीरी लाल, दि दैन स्टूडेंट आफ डेलही यूनिवर्सिटी का 1 करोड 35 लाख का डिपाजिट। मैं कहना चाहूंगी कि केवल 74 साल के बारे में ही आप मत कहिये, 74, 75 और 76 इन तीनों सालों में लगातार हरियाणा के पोस्ट आफिसेज में इस प्रकार के एकाउण्ट्स खोले गए। ऐसा लग रहा है कि इस का उपयोग बेनामी एकाउण्ट्स खोल कर कुछ राजनैतिक कामों के लिए हो रहा था। तो क्या यह बात सही नहीं है? इसके बारे में फाइनेन्स डिपार्टमेंट भी जांच कर रहा है। कहां तक इस की जांच हुई है, यह मैं जानना चाहूंगी।

तीसरी बात यह है कि जो जांच अभी तक हुई उस के आधार पर क्या आप ने डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है उन के ऊपर कोई ऐक्शन लिया? आप ने कहा है कि तीन पोस्ट मास्टर इन्वाल्व्ड है। उस दिन भी आप ने यह कहा था। तो इस में ऐक्शन लेन में इतनी देरी क्यों हो रही है? इस से ऐसा लगता है कि लोगों के मन में जो शक पैदा हुआ है वह बिल्कुल वाजिब है। तीन दिन के लिए, 6, 8 या 10 लाख कोई नहीं रखता है। कुछ न कुछ इस में दाल में काला है। असलियत क्या है वह सदन की जानने की इच्छा है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि आप कृपा कर के पूरी तरह से बताएं। उस दिन जैसा लग रहा था कि तेरह केसेज ही है, उन में से कितने पर ऐक्शन ले रहे है या लेने का विचार चल रहा है, इस प्रकार की बात आप मत करें। सन् 74, 75 और 76 इन तीनों सालों में कितने एकाउण्ट्स थे

[श्रीमती मृणाल गोरे]

और क्या हुआ है यह बताएं। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास दूसरे मामलों के बारे में जांच चल रही है तो उन की तरफ से भी जवाब आने की जरूरत थी। आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस में जांच करेगा तभी पूरा पता चलेगा। क्या इस जांच में बंसी लाल या दूसरे राजनैतिक नेताओं का सम्बन्ध है और क्या बेनामी एकाउण्ट्स का प्रयोग किया गया है, इस का भी ठोस जवाब आना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि इस के बारे में पूरा जवाब दें।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदया, सब से पहले "करेंट" के 3 फरवरी के ईशू में 30 करोड़ रुपये के बेनामी घोटाले का जिक्र आया था। जब कुछ लोगों ने कहा कि यह मनगढ़न्त बात है तो फिर "करेण्ट" ने अपने 10 फरवरी के अंक में इस का पूरा ब्योरा ही दे दिया, जिस में डिपाजिट्स और विद्ड्राअल्ज—करनाल हैड पोस्ट-आफिस—के 23 कैसेज का उल्लेख है। म इन को पढ़ूंगा नहीं, लेकिन सब के नाम, डेट-आफ़-डिपाजिट, डेट-आफ-विद्ड्राअल्ज और उस के बाद रोहतक हैड क्वार्टर के 1973 से 1975 तक के 26 कैसेज के डिपाजिट्स और विद्ड्राअल्ज का उल्लेख है। हम को तो यह देख कर आश्चर्य होता है—30 ता० को काश्मीरी लाल ने 1 लाख 35 हजार जमा कराया और ता० 2 को वह निकाल लेते हैं। हमें तो यह सारा काम जो हुआ है—घोटाले का काम मालूम पड़ता है। वित्त विभाग ने जो उत्तर दिया है—उस में तो बहुत थोड़ा कर के दिखाया है, जैसे आइस-बर्ग होता है, 1/10 भाग पानी के ऊपर होता है, 9/10 भाग नीचे होता है। इस को देखते हुए मैं तो यह समझता हूं कि आधे घण्टे की चर्चा तो बहुत कम है, इस पर 2 घण्टे की चर्चा होनी चाहिये थी।

फाइनेन्स मिनिस्ट्री ने जो उत्तर दिया है, उस में 145 लाख के बेनामी—ट्रांजेक्शन का जिक्र किया है...

Shri R. P. Singh, the then District Industries Officer at Panipat—Rs. 5 lakhs.

Shri N. K. Garg, the then Joint Director of Industries in Haryana Government—Rs. 5 lakhs.

Shri Kashmiri Lal, the then Student of the Delhi University—Rs. 1.35 crores.

यह क्या तमाशा है? उस समय के जो राज-नेता थे, वे तो भ्रष्टाचार में शामिल थे ही, लेकिन जो आप के डाक-तार विभाग के, पोस्ट-आफिस के लोग थे, वे भी भ्रष्टाचार के प्रशान्त समुद्र में डूब थे और जब हमारे संचार मंत्री जी ने बतलाया कि हम उन के ऊपर एक्शन लेंगे—क्या उनके ऐसा कहने की जरूरत थी, यह एक्शन तो कभी का हो जाना चाहिये था ताकि वे आगे कोई ऐसा काम न करें। उन्होंने सदन में मृणाल बहिन के प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि हम उन पर कार्यवाही करेंगे—वह कार्यवाही अब तक क्यों नहीं हुई? आज मृणाल बहिन ने उन को जो चुनौती दी है कि अब तक उन्होंने क्या किया—यह ठीक ही है।

इस में दो मुख्य बातें है —मैं जानता हूं इस सारे घोटाले को ले कर संचार मंत्री कह देंगे कि यह वित्त मंत्रालय का काम है और वित्त मंत्रालय कह देगा यह पोस्ट आफिस का काम है जनता जहन्नुम में जाय। मैं आप से जानना चाहता हूं—यदि यह आप के वश की बात नहीं है और वित्त मंत्रालय के लिए किसी मर्यादा की सीमा का बन्धन है—तो क्या वे इस बड़े घोटाल की जांच करने के लिए—जिस में 30 करोड़ का सवाल तो सुना ही है हो सकता है कि 130 करोड़ हो—सी० बी० आई० को जांच के लिए भेजेंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस मामले में लीपा पोती का काम चल रहा है। मोदनहिन ने कहा है कि उस ने करोड़ों रुपया दिया है, वह रुपया कहां गया? इन्दिरा गांधी जी के पास सकड़ों करोड़ रुपया पहुंचा—उस का पता कैसे लगेगा? सभापति महोदय क्या सार्वजनिक जीवन को स्वस्थ और साफ़ रखने के लिए मुझे संचार मंत्री जी से यह आश्वासन मिल सकता है कि व इस सारे बेनामी घोटाले की जांच के लिए इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को देंगे?

दूसरा सवाल यह है कि आप के विभाग की जो नीति है कि इण्डिविजुअल एकाउण्ट में 25 हजार रुपया जमा किया जा सकता है और जो मिक्स्ड एकाउण्ट है उन में 50 हजार रुपया जमा किया जा सकता है, लाख-लाख-दो दो लाख और पांच-पांच लाख पोस्ट आफिस में किस नियम के तहत जमा किया गया यह बताया जाए। अगर ऐसा करके नियमों का भंग किया गया है तो अभी तक उनको दंडित करने में, जो कि इससे सम्बन्धित है आपके कदम क्यों थरथरा रहे है। इन दोनों बातों का म आप से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा): माननीय सदस्या ने बहुत अहम प्रश्न किया है और उस दिन का हवाला दिया है कि हम ने केवल 13 केसिस का ही क्यों उल्लेख किया बाकी हमने क्यों नहीं बताए और उन को हमने छुपाया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस दिन सवाल सिर्फ करेंट खाते का था। आज जब आपने सारे सवाल पूछे हैं तो मैं कुछ छिपाऊंगा नहीं और हर चीज बताऊंगा। सब से पहले उनका प्रश्न यह था कि सिर्फ 13 केसिस थे या और ज्यादा थे और एक साल के ही थे या कई सालों के थे। म बता दूं कि 1973-74 में ऐसे 1180 केसिस में जो कि 25 हजार की लिमिट और पचास हजार की लिमिट से ज्यादा के थे और इंडिविजुअल केसिस थे। 1974-75 में 616 कसिस थे, 1975-76 में 8 केसिस थे और 1976-77 में 84 कासिस थे। ये ऐसे कसिस थे जिन में इन डाकखानों में अलग अलग जगह अलग-अलग ढंग से रुपया जमा किया गया

25 हजार और 50 हजार से ऊपर। हमने कोई कारवाई क्यो नही की और करनी चाहिये थी या नही, करनी चाहिये थी यह भी मैं आपको बता देता हूं।

श्रीमती मृणाल गोरे सभी केसिस मे नियमो का भंग हुआ है?

श्री बृज लाल वर्मा. हमारे नियमो मे यह है कि इंडिविजुअल केसिस मे 25 हजार जमा होना चाहिये और अगर ज्वाइण्ट खाता है तो पचास से ऊपर नहा हो सकता है परन्तु उसमे अगर ज्यादा जमा है तो हम उस पर ब्याज नही देते है। नियम 8 और 9 के मुताबिक ब्याज न देने की बात आती है। पचास हजार से या पच्चीस हजार से ऊपर किसी की जमा राशि हो तो उसके ऊपर जितनी रकम है उस पर हम ब्याज नही देते है। इन नियमो का आधार लेते हुए हमारे कर्मचारियो ने उसको जमा कर लिया। इस खयाल से और इन नियमो की वजह से उस पर कोई कारवाई करने मे हम ने अपनी असमर्थता प्रकट की। दूसरा सवाल यह उठता है कि यह कैसे हो गया,—कैसे दो तीन दिन में विदड्रा कर लिया गया, तीस तारीख को जमा हुआ और दो तारीख को वह विदड्रा हो गया सिर्फ दो तीन रोज के लिए जमा हुआ। यह सच बात है। एक सदस्य ने बताया है कि एक आदमी ने 1 करोड़ 35 लाख कैस जमा करवा दिया। अब आप जानते है कि जिस वक्त की यह बात है उस वक्त वहा पर कौन मुख्य मंत्री था, कैसा वहा पर शासन था, किस प्रकार की जोर जबर्दस्ती वहां पर चल रही थी। एक गरीब कर्मचारी जो वहा पर डाकखाने में काम कर रहा था उसकी छाती पर बैठ कर उसको जमा करने के लिए कहा जाए तो वह क्या कर सकता था। सरकारी अधिकारियो द्वारा उसके साथ जबर्दस्ती की गई। उसने सोचा कि नियमो के मुताबिक उसने जमा किया। जमा करना उसका फर्ज था। विदड्रा नियमो के मुताबिक हुआ। खाता उसका बराबर है, साफ है। उसको कोई फायदा नही हुआ बल्कि नुकसान यह हुआ कि उसको अधिक देर तक बैठना पड़ा, और हर प्रकार से उसको डर हुआ, भय हुआ। जिस व्यक्ति ने जमा और विदड्रा किया था उसकी वजह से उसका कुछ व्यक्तिगत फायदा नही हुआ बल्कि तकलीफ ही उलटे हुई।

तीन आदमियो के ऊपर हमने एक्शन लिया और वह इसलिए लिया कि उसको ठीक ढंग से जो कुछ करना चाहिये था वह नही हुआ। एक्शन इस कारण से नही लिया कि उसने पच्चीस या पचास हजार से ज्यादा जमा किया। उसकी पांच छः महीने इनक्रीमेंट्स रोकी और उसके खिलाफ जब वे अपील में गए तो उनको वार्निंग मिली और वे छूट गए।

डा० रामजी सिंह बेनामी किसी नाम से क्या हो सकता है?

श्री बृजलाल वर्मा बेनामी नहीं है हमारे खातो से किस के नाम से जमा हुआ और किस के नाम से विदड्रा हुआ "बिल्कुल साफ है।"

डा० रामजी सिंह हस्ताक्षर किस ने प्रमाणित किए है?

श्री बृजलाल वर्मा. यह जांच का सवाल है। लेकिन हमारा काम एजेंसी का काम होता है। हम उसके हकदार नही है। अगर एक गरीब आदमी आता है कहीं से पचास हजार लाता है या एक करोड़ लाता है अब वह कहा से लाता है इसकी जांच हम नही कर सकते है, यह हमारे अधिकार से बाहर की चीज है। हम सिर्फ जमा करने वाले है और विदड्रावल देने वाले है। इसके अलावा इससे हमारा कुछ मतलब नहीं है कि कैसे और कहा से कोई लाया है,...

डा० रामजी सिंह चाहे चोरी करके लाया हो?

श्री बृजलाल वर्मा चोरी कर के लाया हो तो भी हमारा काम जमा करना है। हम नही कह सकते है कि चोरी का पैसा है और जमा नही करेंगे। अगर हम ऐसा कहेंगे तो उलटे हमारे ऊपर कारवाई हो जाएगी।

यह कहा गया है कि दो तीन रोज के लिए जमा हुआ जो कि नहीं होना चाहिये था। इसके बारे में फाइनेन्स डिपार्टमेंट के पास हमारे अधिकारियो ने रिपोर्ट की कि इस प्रकार से जमा हो रहा है इसको आप देखें। 1974 में रिपोर्ट की। ऐसी बात नही है कि नही की। परन्तु एक्शन हम नही ले सकते है। फाइनेन्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स वाले लेंगे। हम ने उनको सूचना दे दी। हमारे अधिकारियो ने हरियाणा गवर्नमेंट को भी सूचना दे दी और 1974 में दे दी। जहा तक काश्मीरी लाल की बात है हमने 21-7-74 को बैंकिंग विभाग को इस की सूचना दी। जिस किसी के बारे में डाउट हुआ उसकी सूचना दी। बहुत से डॉउटफुल लगे उनकी सूचना जनवरी, 1975 में दी, हमारे अधिकारियो ने दी। लेकिन सब चीजें जो हुई है ऐसी परिस्थितियो मे हुई है कि जिन को जानते हुए भी हम कुछ कर नही सकते थे। फाइनेन्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कारवाई करनी चाहिये। इसलिए मैंने पहले ही स्पीकर साहब को इशारा किया था कि जो जानकारी ये विभाग दे सकते है वह हम नही दे सकते है। हम तो सिर्फ खाता रखने वाले है और एजेंसी के बतौर काम करते है।

श्रीमती मृणाल गोरे तीन केसिस मे क्या सजा दी?

श्री बृजलाल वर्मा मैंने बताया है कि इनक्रीमेंट्स रोकी थी। फिर उनके बाद अपील मे उनको दोषी नही पाया गया। इसलिए इनको सिर्फ वार्निंग दी गई और छोड़ दिया गया।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil) There are some arrears in the rural areas of Haryana. E.D.S. are there

[Shri Vayalar Ravi]

in the post offices. But are they authorised to collect money? I think they have not been authorised to do it. What arrangement have you made in these areas?

SHRI BRIJ LAL VERMA: It is not only the case of E.D.S. in those post offices, but it is in the case of others also. This thing has happened with regular Government offices also.

SHRI VAYALAR RAVI: They have no authority. But what arrangements have been made to collect the money?

SHRI BRIJ LAL VERMA: It has not been made....

डा० रामजी सिंह : मैं एक अन्तिम सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे संचार मंत्री बहुत ही असहाय और निरीह अनुभव कर रहे हैं। उनसे इस दिशा में अगर कुछ नहीं हो सकता, और वित्त मंत्री भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो संचार मंत्री जी भी मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं और ज्वायण्ट रिस्पोंसिब्लिटी है। अगर आपसे नहीं हो सकता और वित्त मंत्री इस पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो आप तो इसके महत्व को समझते हैं। क्या आप इसको मंत्रिमंडल में ले जा कर सी० बी० आई० की जांच के लिए अपना प्रस्ताव रखेंगे ताकि इसकी पूरी तहकीकात हो और इस पर कार्यवाही हो सके।

श्री बृज लाल वर्मा : मैंने पहले ही कहा कि हम इस में बिल्कुल असहाय नहीं हैं। हमने पूरे-पूरे कागजात जो हमें मिले हैं, फाइनेन्स डिपार्टमेंट और इनकम-टैक्स डिपार्टमेंट की दे दिये हैं और उनकी जांच चालू है। ऐसी बात नहीं है कि जांच चालू नहीं है। जिस गवर्नमेंट ने बोगस रूप से यह जमा कराया है, यहां तक कि गवर्नमेंट आफिसर्स को दबाव डालकर, बैंक को दबाव डालकर, वहां के अधिकारियों पर दबाव डालकर, अपने बैंक से विदड्रा कर के पोस्ट आफिस में जमा कराया, इस वास्ते जमा करते हैं कि दो-तिहाई पैसा डैवलपमैंट फण्ड के लिए मिलता है, इसलिए यह सारी चीजें करते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि किस एजेन्सी ने यह करवाया ?

श्री बृजलाल वर्मा : बंसीलाल। इस वास्ते ऐसी बात नहीं है, यह सब किया गया है और जोर-जबर्दस्ती से अफसरों को दबाकर बैंक आफिसरों को बदा कर यह सारी चीजें उन्होंने की हैं। जिन अधिकारियों ने इसमें एक्शन लेना है, सूचित कर दिया है, उन्हें सूचित कर दिया है, यह मत सोचिये कि हम किसी चाहते हैं।

श्रीमती मृणाल गोरे : आपके आफिसर्स को इस प्रकार दबाया गया तो आपकी और भी जिम्मेदारी है, इसकी पूरी जांच करनी होगी, आप इसे परसू कीजिए।

श्री बृज लाल वर्मा : हमने कर दिया है।

श्रीमती मृणाल गोरे : नहीं तो आपके आफिसर्स और पोस्ट आफिसेज बदनाम हो रहे हैं। आपको यह करना चाहिये कि पूरी जांच सी० बी० आई० की तरफ से हो जाये।

श्री बृजलाल वर्मा : यह किया है और उसके साथ-साथ 14 करोड़ 54 लाख रुपये....

एक माननीय सदस्य : क्या यह सरकार इसकी इन्क्वायरी सी० बी० आई० को सोपेगी ?

श्री बृज लाल वर्मा : इस प्रकार से जो प्राविन्शियल गवर्नमेंट ने कर्ज के रूप में ले लिया है उसकी वसूली के लिए फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने 7 किस्तें की हैं और हरियाणा गवर्नमेंट से वसूली कर रही है। इसकी भी कार्यवाही फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने कर दी है और उनसे वसूली शुरू हो गई है। यह सारी कार्यवाही हो रही है। जिस प्रकार से बोगस ढंग से जमा कर के ज्यादा पैसा कर्ज में ले लिया है, खर्च में लेने के लिए जो प्राविंशल गवर्नमेंट ने जाल रचा है, वह इसका फायदा न उठा पाये, इसके लिए भी फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने कार्यवाही कर दी है। इस प्रकार से यह मत सोचिये कि किसी भी प्रकार से फाइनेन्स डिपार्टमेंट या इन्कमटैक्स डिपार्टमेंट चुप बैठा है। कार्यवाही शुरू हो गई है। क्योंकि यह पुरानी सरकार का गलत काम है और उस गलत काम को हम किसी भी प्रकार से बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, जो कुछ भी हो सकता है, नियमानुसार हम काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य यह न सोचें कि हम किसी बात को उनसे छिपायेंगे। यह सब से बड़ा स्थान है, जहां पर सारे देश के प्रतिनिधि हैं। हम उनसे कोई बात छिपायेंगे नहीं, और नियमानुसार जो भी उचित कार्यवाही होगी, उसको करेंगे, और इसमें किसी प्रकार से मुरव्वत नहीं करेंगे।

18.31 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 12, 1979/Chaitra 22, 1901 (Saka)

GMGIPND—M—430 L S—23-6-79—880